

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प. 3(3)नविवि/II/2020/पार्ट-I

जयपुर, दिनांक : 11.02.2021

:: आदेश ::

15वीं राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र के मध्यनजर नगरीय विकास विभाग एवं जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल तथा समस्त नगरीय विकास न्यास कार्यालय विधानसभा सत्र की अवधि में राजकीय अवकाशों को खुले रहेंगे।

सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण राजकीय अवकाशों में कार्यालय में उपस्थित होकर विधानसभा से संबंधित कार्य सम्पादित करेंगे।

(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
6. सचिव, समस्त नगर सुधार न्यास ...
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
8. सहायक शासन सचिव(प्रथम/द्वितीय)/अनुभागाधिकारी(प्रथम/द्वितीय), नगरीय विकास विभाग।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
10. लेखाधिकारी, नगरीय विकास विभाग।
11. उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
12. संबंधित कर्मचारी, नगरीय विकास विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय